<u>न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पाक्सो ऐक्ट प्रथम, फैजाबाद</u>

प्रकीर्ण वाद सं0–81/2022
कम्प्यूटर पंजीयन संख्या 1138/2022
CNRNo.UPFZ010065642022

हनुमान प्रसाद एवं अन्य बनाम अमरसुरी एवं एक अन्य

.....

<u>09–02–2023</u> पत्रावली पेश हुई। पुकार हुई। प्रार्थनापत्र 5 ब धारा 5 मियाद अधिनियम पर पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को पूर्व में सुना जा चुका है।

प्रार्थनापत्र 5 ब समर्थित शपथपत्र 6 ब प्रार्थीगण हनुमान प्रसाद आदि की तरफ से इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि विपक्षी सं० 1 ने मिथ्या तथ्यों को दर्शाते हुए उसके विरूद्ध घरेलू हिंसा का परिवाद वर्ष 2016 में दाखिल कर दिया जिसे अवर न्यायालय द्वारा विधि व नियमों के विपरीत प्रार्थीगण पर नोटिस तामीला स्वीकार करते हुए दिनांक 28.07.17 को एकपक्षीय निर्णीत कर दिया गया है। प्रार्थी सं० 1 को 05.01.2021 को अफवाहन ज्ञात हुआ के उसके विरूद्ध विपक्षी सं० 1 ने किसी मुकदमे में एकपक्षीय आदेश करा लिया है जिसकी जानकारी के लिये अधिवक्ता से मिला तथा पत्रावली का पता करने पर पता चला कि विपक्षी सं० 1 ने प्रार्थीगण के विरूद्ध उक्त घरेलू हिंसा का परिवाद दिनांक 28.07.17 को एकपक्षीय निर्णीत किया है जसकी वसूली की कार्यवाही लम्बित है। उसने अविलम्ब अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 11.01.21 को एकपक्षीय आदेश की प्रतिलिपि हेतु आवेदन किया जिसकी प्रतिलिपि प्राप्ति के उपरान्त प्रार्थी सं० 5 को सूचित किया जो दिनांक 10.02.21 को मायके आयी जिसके उपरान्त प्रार्थीगण ने दिनांक 12.02.21 को अवर न्यायालय में रिकाल प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जिसे अवर न्यायालय ने सरसरी तौर पर दिनांक 08.09.22 को खारिज कर दिया जिसकी नकल प्राप्त कर अविलम्ब अपील प्रस्तुत किया। प्रार्थीगण ने जानबूझकर विलम्ब नहीं किया है जो भी भूल हुई है उक्त परिस्थितयों में हुई है जो क्षम्य है। अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि अपीलार्थीगण को मियाद अधिनियम की धारा 5 का लाभ प्रदान करते हुये अपील की सुनवाई का अवसर प्रदान करने की कृपा करें।

विपक्षी संख्या 1 अमरसुरी की तरफ से आपत्ति प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र गलत तथ्यों व मिथ्या कथनों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है, अवर न्यायालय ने दिनांक 28.07.17 को उक्त आदेश पारित किया था जिसकी जानकारी अपीलार्थीगण को थी किन्तु वे जानबूझकर उसे हैरान व परेशान करने के लिए दूषित मंशा से भरण–पोषण की रकम देने से बचने के लिए अदालत हाजिर नहीं हुए। अपीलार्थी सं० 1 द्वारा अवर न्यायालय के आदेश के अनुक्रम में भरण–पोषण की रकम नहीं दी गयी तो उसने वसूली का वाद प्रस्तुत किया जिसकी जानकारी होने पर अवर न्यायालय के आदेश दिनांक 28.07.17 के तीन वर्ष बाद रिकाल

प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया जिसे अवर न्यायालय ने निरस्त कर दिया प्रार्थनापत्र विलम्ब से प्रस्तुत करने का कोई यथोचित कारण दर्शित नहीं किया गया है। उक्त घरेलू हिंसा परिवाद सं० 26/16 में अपीलार्थीगण को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस प्रेषित की गयी तथा 30 दिन तक रजिस्ट्री वापस न आने पर विधिवत तामीला मानकर अवर न्यायालय ने दिनांक 28.07.2017 को आदेश पारित किया जिसकी जानकारी अपीलार्थीगण को थी। अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मियाद प्रार्थनापत्र बिना किसी मुक्ति–युक्त विलम्ब का कारण दर्शाते हुए प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थनापत्र तथ्यात्मक एवं वैधानिक दोनों ही दृष्टिकोण से त्रुटिपूर्ण है।

पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि परिवाद संख्या 26/16 अमरसुरी बनाम हनुमान प्रसाद एवं अन्य में पारित एकपक्षीय निर्णय दिनांकित 28.07.2017 को रिकाल करने हेतु प्रस्तुत किया जिसे अवर न्यायालय ने दिनांक 08.09.22 को निरस्त कर दिया तदुपरान्त प्रार्थीगण ने एकपक्षीगण निर्णय दिनांकित 28.07.17 के विरूद्ध कालबाधित अपील प्रस्तुत कर मियाद अधिनियम की छूट प्रदान करते हुए अपील को समय के भीतर मानने की याचना की गयी है।

सर्वप्रथम पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विपक्षी सं० 1 द्वारा जरिए स्पष्ट रूप से यह कथन किया गया है कि अपीलार्थीगण मात्र उसके द्वारा दायर मुकदमे में विलम्ब करने के आशय से जान बूझकर मुकदमे में हाजिर नहीं आ रहे थे जिसके कारण न्यायालय द्वारा उनके विरूद्ध एकपक्षीय आदेश कर दिनांक 28.07.2017 को एकपक्षीय निर्णय पारित किया गया। दिनांक 28.07.17 को पारित एकपक्षीय निर्णय की बखूबी जानकारी अपीलार्थीगण को थी। बावजूद इसके यदि विपक्षी के इस आपत्ति को एक क्षण के लिए गलत मान लिया जाय तो भी स्वयं अपीलार्थी द्वारा अपने प्रार्थनापत्र में यह स्वीकार किया गया है कि दिनांक 05.01.21 को अफवाहन ज्ञात हुआ कि उनके विरूद्ध विपक्षी सं० 1 ने किसी मुकदमे में एकपक्षीय आदेश पारित करा लिया है तब जानकारी करने के लिए अधिवक्ता से मिला जिनके द्वारा पत्रावली का पता करने पर पता चला कि विपक्षी सं० 1 ने उनके विरूद्ध घरेलू हिंसा के मुकदमे में आदेश प्राप्त कर लिया है तब अविलम्ब अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 11.01.21 को एकपक्षीय आदेश की प्रतिलिपि हेतु आवेदन किया। अर्थात यह स्वीकृत तथ्य हो गया कि कम से कम 05.01.21 एवं 11.01.21 को और जब अपीलार्थीगण को आदेश दिनांक 27.07.17 की जानकारी 5.01.21 को हो चुकी थी तब इसके पश्चात प्रश्नगत अपील दिनांक 03.10.22 को प्रस्तुत करना स्वयं यह दर्शित करता है कि अपीलार्थीगण द्वारा जानबूझकर मामले को विलम्बित किया गया। जहां तक अपीलार्थीगण के इस तर्क का प्रश्न है कि उनके द्वारा दिनांक 28.07.17 के आदेश के विरूद्ध 12,02.21 को उक्त आदेश के

लिए रिकाल प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया था इस संदर्भ में सर्वप्रथम यहां यह उल्लेखनीय है कि जब अधिनियम की धारा 29 के अन्तर्गत अपील दायर करने का प्राविधान है तब इसके बावजूद आदेश दिनांकित 28.07.17 के विरूद्ध रिकाल प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने का क्या औचित्य है। अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए इस तर्क को सही नहीं माना जा सकता कि उनके द्वारा प्रथमतः रिकाल प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया इसके पश्चात यह अपील दाखिल की गई। दोनों प्रक्रिया का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और यदि दी जाएगी तो यह स्पष्ट रूप से किसी भी मामले को विलम्बित करने का एक आसान माध्यम होगा जो न्याय को निष्फल कर देगा और अपीलार्थीगण को यह अनुमति कतई नहीं दी जा सकती कि वह विधिक प्रावधानों का सहारा लेकर न्याय को निष्फल करें। इस मामले में पीड़िता द्वारा वर्ष 2016 से यह मुकदमा योजित किया गया है। लगभग 07 वर्ष समय व्यतीत हो जाने के पश्चात भी आज तक पीड़िता को कोई फलित उपचार नहीं मिला। अतः उपरोक्त समस्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए ऐसे याचीगण को जो जानबूझकर मामले को विलम्बित करने का आशय रखते हैं उन्हें कोई अनुतोष प्रदान किया जाना दूसरे पक्ष के विरूद्ध अन्याय होगा। मियाद अधिनियम सुविधा का प्रावधान करता है जहां पर वास्तविक रूप से किसी पक्षकार को अपनी विपरीत परिस्थितियों के कारण यदि समय से कोई वाद/निर्णय/अपील/निगरानी आदि समय से प्रस्तुत न कर सके तो उसे मात्र तकनीकी त्रुटि के कारण अस्वीकार न कर दिया जाय परन्तु यदि कोई पक्षकार जानबूझकर विधिक प्रावधानों का सहारा लेकर मामले को विलम्बित करने का प्रयास करता है तो ऐसे पक्षकार को मियाद अधिनियम का कोई लाभ दिया जाना विधिक नहीं है।

अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों तथा उपरोक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थनापत्र 5 ब अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में लिए गए आधार संतोष जनक एवं पर्याप्त नहीं है। प्रार्थनापत्र 5 ब स्वीकार होने योग्य नहीं है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थनापत्र 5 ब अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर की जावे।

(शैलेन्द्र वर्मा)
JO Code 6426
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश पाक्सो ऐक्ट प्रथम,
फैजाबाद।

Digitally signed by Shailendra Verma
Date: 2023.02.10 16:43:59 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court